

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1189] No. 1189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2018/चैत्र 1, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2018/CHAITRA 1, 1940

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

का.आ. 1316(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 21 मार्च, 2018 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (3) और उपधारा (11) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/4/2016-सीएल.**I**]

के वी आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2018

**S.O. 1316(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 21<sup>st</sup> March, 2018 as the date on which the provisions of subsections (3) and (11) of section 132 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/4/2016-CL.I]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

1726 GI/2018